प्रभुदयाल बनाम् महेन्द्र वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज मु० नं०— 104/2008
06-06-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष—2018 [illegible] 20-7-18 [illegible] फुटाला [illegible] दिनांक 18-6-18 [illegible]
18.06.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान—2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प—फुटाला के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण वर्ष 2008 से लम्बित है तथा प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र टी.आई. मय कोस टी.आई. पेश हो चुका है व जवाब कोस टी.आई. भी पेश किया जा चुका है। इसके पश्चात् प्रकरण दिनांक 20.9.2013 से बहस में विचाराधीन चला आ रहा है। अतः प्रकरण के बहस में विचाराधीन होने से प्रकरण में गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये ही प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ। अतः ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.83 हैक्टर, 1068 रकबा 0.52 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर के रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान— 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प— फुटाला के मजमे—ए—आम में सुनाया गया। (ब्रहम लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प—फुटाला

Scanned by CamScanner